कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
दुर्गावती बायाँ तट नहर प्रमडल, भीतरीबाँध।

Email ID-eedlbc@gmail.com

पत्रांक.................... /भीतरीबाँध,दिनांक........................../2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अति–अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०– 01/2026–27

एतद् द्वारा सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बायाँ तट नहर प्रमंडल, भीतरीबाँध अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के सतत् अनुश्रवण, आकस्मिक/खरीफ सिचांई 2026 में निरीक्षण कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्यो हेतु भाडे पर अवर प्रमंडल पदाधिकारीयों के दिवा–रात्रि उपयोग हेतु भाडें पर 02 (दो) अदद बोलेरो (चालक सहित)/समतुल्य अथवा उच्चतर वाहन मॉडल वितीय वर्षः– 2026–2027 के लिए आवश्यकता है। आपूर्ति/सेवा हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं/ संवेदको/ सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1.	कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :–	दिनांक 02.05.2026
2.	कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :–	दिनांक 15.05.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
3.	कोटेशन जमा करने का स्थान :–	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, दुर्गावती बायाँ तट नहर प्रमडल, भीतरीबाँध।
4.	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :–	दिनांक 15.05.2026 को अपराह्न 3:30 बजे ।
5.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :–	कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बायाँ तट नहर प्रमडल,भीतरीबाँध । (मो०नं०–7463889420)

शर्तें निम्नवत है :–

6. भाड़े पर वाहन एकारारनामा तिथि से 31 मार्च 2027 तक वित्तीय वर्ष– 2026–2027 के लिए भाडे पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नहीं किया जायेगा।
7. वाहन का निबंधन व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए एवं उन्हें व्यवसायिक उपयोग हेतु बिहार राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार के स्तर से परमिट प्राप्त होना चाहिए (वाहन पीले नंबर प्लेट वाला व्यवसायिक वाहन होना चाहिए)।
8. भाड़े पर दिया जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए इसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान निरीक्षण (MVI) से कराकर प्रस्तुत करना होगा।
9. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक का वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
10. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायगा।
11. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

12. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
13. वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिमाह ईधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।
14. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेगें।
16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 15.05.2026 को 4:00 बजे अपराहन में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा। स्थानीय (जिला– रोहतास) कोटेशनधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
17. वाहन का किराया प्रति माह (बोलेरो/स्कॉर्पियो/नन ए०सी०/ए०सी०) जिला प्रशासन सासाराम द्वारा बोलोरों / स्कॉर्पियों के निर्धारित दर प्रतिमाह अधिकतम अथवा आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा, तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरूद्ध किया जाएगा।
18. विभागीय मापदंड के अनुरूप नियमानुकूल कटौती की जायेगी।
19. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात एवं शपथ पत्र जमा नहीं किए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।
20. चालक के द्वारा किसी भी तरह के चोरी, दुर्व्यहार इत्यादि के लिए वाहन आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
21. चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया जाना, के लिये विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्ण रूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
22. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्न प्रपत्र में देना होगा।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा (सभी करों सहित)

इच्छुक वाहन मालिक/फार्म उक्त कमांक 1 से 22 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगें। शपथ–पत्र एवं वाछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

ह०/–

(ई० सिकेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
दुर्गावती बायाँ तट नहर प्रमडल, भीतरीबाँध

पत्रांक–....228....

/भीतरीबाँध,दिनांक....02/05..../2026

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित (upload) करने हेतु एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ समर्पित।

02/05/26

कार्यपालक अभियन्ता
दुर्गावती बायाँ तट नहर प्रमडल, भीतरीबाँध ।